**चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों के दैनिक वेतन**

3008.**श्री गांधी आजाद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को कितना दैनिक वेतन दिया जा रहा हैं और यह वेतन कब निर्धारित किया गया था,

(ख) क्या सरकार पांचवें वेतन आयोग लागू हो जाने के उपरान्त बढ़ी हुई मंहगाई को देखते हुए इन कर्मचारियों के दैनिक वेतने में वृद्धि करने का विचार रखती हैं, और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री सत्यनारायण जटिया)** : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के दिनांक 26.3.99 के आदेशानुसार, दैनिक मजदूरी की दर अहुशल मजदूरों के लिए, 90.30 रु0, अर्द्ध-कुशल मजदूरों के लिए 96.70 रु0 और कुशल मजदूरों के लिए 106.60 रु0 हैं । ये मजदूरियां दिल्ली स्थित सरकारी कार्यालयों के दैनिक मजदूर को दी जाती हैं ।

(ख) और (ग) ये मजदूरियां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध हैं तथा मुद्रास्फीति दर को यथावत बनाए रखने के लिए परिवर्ती मंहगाई भत्ता दिया जाता हैं । पूर्व की दरें मई 98, में निर्धारित की गई थी, जाता तथा (क) में दी गई मजदूरियों को उसमें प्रतिमाह 411.00 रु0 का मंहगाई भत्ता जोड़कर संशोधित किया गया हैं ।

**Term of Manisana Wage Board**

3009. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the term of the Manisana Wage Board for journalists and non-journalists has been extended to submit its recommendations;

(b) whether it is also a fact that the recommendations could not be submitted due to want of Government co-operation which is to be given to the Board; and

(c) the expected date of submission of recommendations and ways of its implementation?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) No time frame was fixed for the submission of the report of Wage Boards at the time of constitution. However, the Chairman of the Wage Boards has been requested to submit the report of the Wage Boards at the earliest. Thereafter the notification will be issued by the Government.

**खेतिहर मजदूरों का कल्याण**

3010. **श्री ओंकार सिंह लखावत** :क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खेतिहर मजदूरों के कल्याण, कार्य समयाविध, फसल कटाई की न्यून्तम मजदूरी, बुवाई की मजदूरी, रोजगार आश्वासन, चिकित्सा आदि की व्यवस्था से युक्त वृहद् कानून बनाने का विचार रखती हैं, यदि हां, तो कब तक, और

(ख) देश में खेतिहर मजदूरों की कुल संख्या क्या हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री सत्यनारायण जटिया)** : (क) सरकार का कृषीय कामगारों के लिए रोजगार और सेवा शर्तो के विनियमन का प्रावधान करने और उनके लि कतिपय कल्याणकारी उपाय करने हेतु एक व्यापक विधान बनाने का विचार हैं । विभिन्न राज्यों की अत्याधिक भिन्न-भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और कृषि जलवायु दशाओं, कृषीय पद्धतियों और नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से उत्पन्न राज्य सरकारों के भिन्न-भिन्न आंकलनों के कारण किसी सम्यक निष्कर्ष तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाया हैं ।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार, कृषीय श्रमिकों की कुल संख्या (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) 74,597,744 हैं ।

**ई0 एस0 आई0 लाभ योजना**

3011. **श्री ओंकार सिंह लखावत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग द्वारा सुझाये गये वेतनमानों को लागू किये जाने के कारण अधिकांश श्रमिक ई0 एस0 आई0 योजना के लाभो से वंचित हो गये हैं,

(ख) क्या सरकार ने इन श्रमिकों को ई0 एस0 आई0 के लाभ प्रदान करने के लिए आय सीमा में वृद्धि करने के प्रसतव पर विचार किया हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, और

(ग) ई0 एस0 आई0 योजना की राज्य-वार कितनी राशि नियोजकों के पास लंबित हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री सत्यनारायण जटिया) :** (क) और (ख) कर्म0 रा0 बी0 योजना के अन्तर्गत व्याप्ति के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा पिछली बार 1.1.97 से 3000/- रुपये से बढ़ाकर 6500/- रुपये प्रतिमाह की गई थी । यह मजदूरी सीमा फिलहाल पर्याप्त समझी गई हैं । पांचवे वेतन आयोग की सिफरिशें सरकारी कर्मचारियों के लिए होती हैं तथा इसका कर्म0 रा0 बी0 योजना की व्याप्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता हैं ।

(ग) 30.2.98 की स्थिति के अनुसार कर्म0 बी0 योजना के देयों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

**विवरण**

**30.9.98 की स्थिति के अनुसार कर्म0 बी0 अंशदान का राज्यवार बकाया**

(करोड़ रुपयों में)

| क्रम संख्या | राज्य/क्षेत्र | चूक की राशि | | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| | | निजी क्षेत्र | सार्वजनिक क्षेत्र | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 16.81 | 14.17 | 30.98 |
| 2. | असम | 2.21 | 1.55 | 3.76 |
| 3. | बिहार | 7.65 | 2.83 | 10.48 |
| 4. | दिल्ली | 5.12 | 0.81 | 5.93 |
| 5. | गुजरात | 16.52 | 7.08 | 23.60 |
| 6. | हरियाणा | 6.84 | 0.29 | 7.13 |
| 7. | कर्नाटक | 12.39 | 6.30 | 18.69 |
| 8. | केरल | 10.91 | 1.73 | 12.64 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 9.77 | 11.87 | 21.64 |
| 10. | महाराष्ट्र | | | |
| | (i) मुम्बई | 22.61 | 26.34 | 48.95 |
| | (ii)नागपुर | 2.82 | 2.21 | 5.03 |
| | (iii) पुणे | 13.81 | 9.78 | 23.59 |
| 11. | गोवा | 2.86 | 0.03 | 2.89 |
| 12. | उड़ीसा | 4.15 | 5.28 | 9.43 |
| 13. | पंजाब | 10.16 | 3.87 | 14.03 |
| 14. | राजस्थान | 3.85 | 0.25 | 4.10 |
| 15. | तमिलनाडु | | | |
| | (i)चेन्नई | 18.64 | 0.21 | 18.85 |
| | (ii) कोयम्बटूर | 2.93 | - | 2.93 |
| | (iii) मदूरै | 7.44 | 0.06 | 7.50 |
| 16. | पांडिचेरी | 0.88 | - | 0.88 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 14.96 | 24.09 | 39.05 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 80.17 | 24.16 | 104.33 |
| | कुलः | 273.50 | 142.91 | 416.41 |